सार-समाचार

तकनीकी डायरी-2025 का विमोचन सम्पन्न

छबड़ा (निसं)। राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ ने गुरूवार को प्रदेश स्तरीय तकनीकी डायरी का खण्ड स्तरीय विमोचन अधिशाषी अभियंता द्वारा करवाया गया तथा अधिकारियो को तकनीकी डायरियां सौंपी गई। खण्ड अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शर्मा व महामंत्री विनोद कुमार सोनी के अनुसार अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमो की नवीनतम जानकारियो व नियमों को तकनीकी कर्मचारियों व अधिकारियो को सुलभ तरह से पहुंचाने व संगठन के समस्त पदाधिकारियो के नाम व नम्बर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संगठन के प्रदेशाध्यक्ष संतोष विजय की दूरदर्शी सोच के साथ शुरू की गई तकनीकी डायरी का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश स्तरीय विमोचन जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी द्वारा किया जा चुका है। खण्ड छबड़ा मे तकनीकी डायरी का विमोचन शेष चल रहा था। प्रदेश स्तर से स्वीकृत प्राप्त होने पर वर्ष 2025 की डायरी का विमोचन गुरूवार को अधिशाषी अभियंता जोगेंद्र मीणा से करवाया गया। इस अवसर पर सहायक अभियंता शुभ्रा मीना, निविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नरेश कुमार सेन, उपखण्ड अध्यक्ष अब्दुल हमीद, उपखण्ड महामंत्री कुलदीपसिंह जादोन सहित अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि मौजूद थे।

डीसीडीपी कैम्प का आयोजन

रामगंजमण्डी, (निसं)। शहर के डाकघर में गुरुवार को अत्यधिक नए खाते खोलने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए डीसीडीपी कैम्प का आयोजन किया। इसमें प्रवर अधीक्षक राहुल यादव एवं सहायक प्रवर अधीक्षक ओ पी मीणा कोटा उपस्थित रहे। कैम्प में लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में डाकघर रामगंजमण्डी की अभिकर्ता नीतू माहेश्वरी, अर्पिता जैन, विद्या गुप्ता एवं श्यामा कुमारी गुप्ता का सम्मान किया गया। साथ ही 50 से ऊपर खाते खोलने पर मुकेश जैन, महेश कुमार दुबे, योगेश कुमारी, कौशल्या शर्मा, त्रिशला जैन, विनीता जैन, याशिका खत्री, अर्शी कुरैशी, अनुराधा, सुमन, रजनी बाला दुबे, हेमलता शर्मा, राममूर्ति नामा, नीतू शर्मा का भी उपस्थित अतिथियों प्रवर अधीक्षक व सहायक प्रवर अधीक्षक द्वारा सम्मान किया गया। वहीं लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में डाकघर रामगंजमण्डी के पोस्ट मास्टर जिशान अली, डाक सहायक गौरव गुप्ता, राजूलाल, रणजीत, रमण सिंह का भी अतिथियों ने सम्मान किया।मंच संचालन अभिकर्ता योगेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।अंत मे पोस्ट मास्टर जिशान अली डाकघर रामगंजमण्डी की ओर से लक्ष्य प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के लिए सभी अभिकर्ताओं को धन्यवाद दिया।

विधानसभा में सीवरेज का मामला उठाया

छबड़ा (निसं)। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने गुरूवार को राजस्थान विधानसभा में नगरपालिका छबड़ा में सीवरेज सुविधा नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छबड़ा नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं होना एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में नगरपालिका छबड़ा में 35 वार्ड है और जनसंख्या करीब 60 से 70 हजार है। नगरपालिका छबड़ा में सीवरेज की सुविधा नहीं होने से स्थानीय नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक सिंघवी ने कहा कि छबड़ा में सीवरेज सुविधा नहीं होने से स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर समस्या है। सड़कों और गलियों में जलभराव और गंदगी के कारण रोगों का प्रकोप बढ़ता है, विशेषकर मलेरिया, डेंगू एवं अन्य जलजनित बीमारियाँ फैलती है। साथ ही, सफाई व्यवस्था की कमी के कारण स्थानीय लोगों को जीवनयापन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। छबड़ा नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित जलवायु मिल सके। सिंघवी ने नगरपालिका छबड़ा में सीवरेज सिस्टम स्थापित किए जाने की मांग की ताकि छबड़ा नगरवासियों को बेहतर जीवनयापन की सुविधा मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 24 को

झालावाड़, (निसं)। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 24 मार्च को दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश चन्द मीना ने दी।

महिला हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। भीमगंजमंडी थाना इलाके में मंगलवार देर रात्रि को सोती हुई महिला की चाकू से गोदकर किये गये हत्याकांड के मामले का खुलासा करते हुए भीमगंजमंडी पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी हुसैनी नगर निवासी आमिर उर्फ शिब्बु (23) है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि भीमगंजमंडी इलाके के हुसैनी नगर में महिला सुमित्रा बाई की हत्या एवं उसके भांजे अरविन्द पर हुए हमले के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उपअधीक्षक गंगासहाय शर्मा के सुपरविजन एवं भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने अपने पुराने अनुभव के आधार तथा असूचना संकलन कर कार्यवाही करते हुए महिला हत्याकांड के आरोपी अमीर मोहम्मद उर्फ शिब्बु को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

■ चाकू मारकर की थी हत्या, पुरानी रंजिश का मामला

महिला की हत्या का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में लिया।

हत्या का कारण-शहर एसपी अमृता दुहन ने बताया कि मामले में पकड़े गये आरोपी आमिर मोहम्मद उर्फ शिब्बु ने पूछताछ में बताया कि वह मृतका के देवर की लड़की को फोन पर बातचीत करने का दबाव बनाता था जिसका मृतका सुमित्रा बाई और हमले में घायल अरविंद ने बात करने से मना किया था।

मामले में सामने आया कि इसी बात की रंजिश को रखते हुए आरोपी शिब्बु ने मंगलवार देर रात्रि को घर की खिड़की से अंदर प्रवेश किया और घर के बरामदे में सो रही महिला सुमित्रा बाई पर चाकू से ताबाड़तोड़ दो वार किये और पास में सो रहे उसके भांजे अरवन्दि की आंख खुलने पर उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। हमले में सुमित्रा बाई की मौत हो गई एवं अरविन्द गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पकड़े गये आरोपी आमिर मोहम्मद उर्फ शिब्बु को गुरूवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर सौपा गया।

यह था मामला:- शहर एसपी ने बताया कि 19 मार्च को हमले में घायल अरविन्द ने अस्पताल में पर्चा बयान दिया कि मंगलवार देर रात्रि के दो बजे के करीब की घटना है। वह और उसकी मौसी सुमित्रा बाई घर के बरामदे में सो रहे थे। फरियादी ने कहा कि उसी मोहल्ले का आमिर मोहम्मद उर्फ शिब्बु खिड़की से अंदर घुसा और उसकी मौसी व उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। जिसमे उसकी मौसी की मौत हो गई। पुलिस ने फरियादी के पर्चा बयान पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और कार्यवाही करते हुए आरोपी को घटना के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया।

गीली लकड़ियों से भरे दो ट्रक पकड़े

छबड़ा (निसं)। तहसीलदार ने पुलिस के सहयोग से बुधवार देर रात को दो अलग अलग स्थानों से गीली लकड़ियों से भरे दो ट्रक जब्त किए गए है। जिन्हें पाली व छबडा थाने मे खड़ा करवा दिए है। तहसीलदार यादवेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गीली लड़कियो का परिवहन किया जा रहा है। इस पर उन्होंने लगभग 11 बजे झरखेडी के निकट बटावदापार से गीली लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त कर छबड़ा थाने में खड़ा करवा दिया हैं। इसी प्रकार पाली थाना क्षेत्र से भी लगभग रात्रि 3 बजे एक ट्रक जब्त किया गया, जो भी गीली लड़कियो से भरा हुआ था। जिसे पाली थाने में खड़ा करवाया दिया हैं। कार्यवाही करने पहुंची टीम को देख चालक मौके से भागने में सफल रहे। यादव ने बताया कि इस मामले में वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है। ज्ञातव्य रहे कि बुधवार सोशल मीडिया के माध्यम से ख़बर मिलने के पश्चात जिम्मेदार वन विभाग द्वारा कार्यवाही तक नही है, इससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित विभाग व कार्मिक अपने कार्यो के प्रति कितने जिम्मेवार है। जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों व कार्मिको के उदासीन रवैये के कारण ऐसे लोगो के हौसले बुलंद हो रहे है। जिस विभाग के पास प्रकृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो और वो ही अपने दायित्वों से दूर भागते हो तो प्रकृति की सुरक्षा आखिर कौन करेगा।

कार्यकारिणी गठित कर जिम्मेदारियां सौंपी

छबड़ा (निसं)। प्रजापति विकास समिति द्वारा नवीन कार्यकारिणी गठित कर जिम्मेदारियां सौंपी गई।

समाज के कोषाध्यक्ष सत्यनारायण बेहरा ने बताया कि अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ के जिलाध्यक्ष श्वर प्रजापति द्वारा नवीन कार्यकारिणी गठित करते हुए अध्यक्ष सीताराम प्रजापति, उपाध्यक्ष धनराज जलंधरा, महामंत्री हेमराज सिंधिया बनाया। जिनका माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। यहां कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। प्रजापति समाज के छोटे-छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेष किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या मे समाजबंधु मौजूद थे।

शिविर का आयोजन आज

छबड़ा (निसं)। कस्बे के विद्युत निगम सहायक अभियंता कार्यालय में आज शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसमे त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी होने व बकाया राशि संबन्धी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सहायक अभियंता जयेंद्रसिंह झाला ने बताया कि छबडा कार्यालय के अधिनस्थ उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण विद्युत प्रपत्र जारी होने संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं विद्युत बिल की बकाया राषि से सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा करने के लिए निगम द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा।

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/19128 दिनांक: 20.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री रामस्वरुप शर्मा निवासी रेतवाली कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर सराय का स्थान रेतवाली कोटा स्थित भूखंड क्षेत्रफल 1462.5 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। सराय का स्थान रेतवाली कोटा स्थित भूखंड क्षेत्रफल 2925 वर्गफुट का आवंटन म्यूनिसिपल बोर्ड शहर कोटा द्वारा सर्टीफिकेट फरोख्तगी जमीन मिसल नम्बर 581 सम्वत् 2016 से श्री राधावल्लभ पुत्र श्री माधो लाल को किया गया। श्री राधा वल्लभ ने उक्त भूखंड में से 1462.5 वर्गफुट भाग जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 15.03.1966 से श्री रामस्वरुप पुत्र श्री माधो लाल को विक्रय कर दिया। श्री रामस्वरुप का देहावसान दिनांक 08.08.1987 को एवं उनकी पत्नी श्रीमती पसन्न बाई का देहावसान दिनांक 27.11.2024 को हो जाने के उपरांत उनके एक मात्र जीवित वारिस एवं उत्तराधिकारी श्री सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री रामस्वरुप शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द./उपायुक्त जोन प्रथम/भ.नि.अनु./2025/19064-65 दिनांक: 19.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कान्ता कुमारी गुप्ता पत्नी स्व. श्री रामकुमार गुप्ता एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामकुमार गुप्ता निवासी भूखंड संख्या 593 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 593 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के पक्ष में नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 593 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का आवंटन राजस्थान राज्य कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल परियोजना कोटा के आवंटन पत्र क्रमांक लेखा/मण्डी/3363 दिनांक 09.10.1969 को श्री चमन लाल तनेजा पुत्र श्री कुन्दन लाल तनेजा को किया गया है। श्री चमन लाल तनेजा द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1980 से पश्चिमी तरफ वाले भाग क्षेत्रफल 1020 वर्गफुट का बैचान श्रीमती कान्ता कुमारी गुप्ता पत्नी श्री रामकुमार गुप्ता को किया गया एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.10.1980 से पूर्व की और यानी पिछला हिस्सा का बैचान क्षेत्रफल 780 वर्गफुट का श्री रामकुमार गुप्ता पुत्र श्री तालेवर स्वरुप गुप्ता को किया गया। श्री रामकुमार गुप्ता की मृत्यु दिनांक 06.12.2012 को हो जाने के उपरांत उनके जीवित विधिक वारिसान श्री रविश चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामकुमार गुप्ता द्वारा क्षेत्रफल 780 वर्गफुट में से अपना 1/3 अविभाजित हिस्सा अपनी माता श्रीमती कान्ता कुमारी गुप्ता के पक्ष में त्याग दिया गया है। अत: उक्त भूखंड 593 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट में से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक श्रीमती कान्ता कुमारी गुप्ता पत्नी श्री रामकुमार गुप्ता को क्षेत्रफल 1540 वर्गफुट प्राप्त हुआ एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामकुमार गुप्ता को क्षेत्रफल 260 वर्गफुट प्राप्त हुआ है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड 593 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट कोटा आवासीय जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट के स्वामित्व में से श्रीमती कान्ता कुमारी गुप्ता पत्नी श्री रामकुमार गुप्ता के पक्ष में क्षेत्रफल 1540 वर्गफुट एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामकुमार गुप्ता के पक्ष में क्षेत्रफल 260 वर्गफुट नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/1260 दिनांक:-20.03.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना नई धानमण्डी व्यावसायिक भूखंड संख्या 31 ए का नामहस्तांतरण क्रमांक 357-58 दिनांक 21.02.2014 को श्री पुखराजमल बाफना पुत्र श्री हुकुम चंद बाफना के नाम हस्तांतरण किया गया था। श्री पुखराजमल बाफना की मृत्यु दिनांक 09.11.2024 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री पुखराजमल बाफना पुत्र श्री हुकुम चंद बाफना के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री सुनील बाफना पुत्र स्व. श्री पुखराजमल बाफना द्वारा उक्त भूखंड संख्या 31 ए नई धानमण्डी व्यावसायिक अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 31 ए योजना नई धानमण्डी व्यावसायिक का नामहस्तान्तरण श्री सुनील बाफना पुत्र स्व. श्री पुखराजमल बाफना के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/1262 दिनांक:-20.03.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना नई धानमण्डी व्यावसायिक भूखंड संख्या 32 ए का नामहस्तांतरण क्रमांक 359-60 दिनांक 21.02.2014 को श्री पुखराजमल बाफना पुत्र श्री हुकुम चंद बाफना के नाम हस्तांतरण किया गया था। श्री पुखराजमल बाफना की मृत्यु दिनांक 09.11.2024 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री पुखराजमल बाफना पुत्र श्री हुकुम चंद बाफना के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती अनिता जैन पुत्री स्व. श्री पुखराजमल बाफना द्वारा उक्त भूखंड संख्या 32 ए नई धानमण्डी व्यावसायिक अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 32 ए योजना नई धानमण्डी व्यावसायिक का नामहस्तान्तरण श्रीमती अनिता जैन पुत्री स्व. श्री पुखराजमल बाफना के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

क्रमांक:-ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/7354-55 दिनांक:-19.3.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि सुश्री हिमानी सिंह जादौन पुत्री श्री उदय सिंह जादौन, निवासी बी.पी. ऑयल मील की गली, हनुमान मन्दिर के पास रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार "HAVELI RESTRO" प्लॉट नं. 2 नियर अहिंसा मार्बल सर्किल श्रीनाथपुरम-ए कोटा में संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक "ए" के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त राजस्व नगर निगम कोटा (दक्षिण)

जिला वैक्सीन भंडार का निरीक्षण किया

बूंदी (निसं)। जिले मै वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन की गुणवत्ता को परखने के लिए गुरुवार को सीएमएचओ डॉ ओ पी सामर ने जिला वैक्सीन भंडार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा।

डॉ सामर ने निरीक्षण के दौरान वैक्सीन भंडार की साफ सफाई वैक्सीन को रखने के लिए तापमान की सही स्थिति और वैक्सीन की गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड मेंटेनेंस सहित अन्य की जांच की। डॉ सामर ने बताया की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा मै भंडार में उपलब्ध थी उनका रखरखाव सही प्रक्रिया से हो रहा था! निरीक्षण के दौरान वैक्सीन की गुणवत्ता भी सही मिली। डॉ सामर ने बताया कि जिला वैक्सीन भंडार मै वैक्सीन को सही तापमान मै रखना बेहद जरूरी है। और जिला वैक्सीन भंडार मै टेम्परेचर सही से मेंटेन हो रहा है। जिला वैक्सीन भंडार से वैक्सीन का वितरण भी समय समय पर चिकित्सा संस्थानो तक किया जा रहा है! डॉ सामर ने निरिक्षण के दौरान जिला औषधि भंडार का निरीक्षण कर समस्त चिकित्सा संस्थानों में दवाइयां उपलब्ध होने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिले में विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस सप्ताह आरम्भ हुआ

झालावाड़ (निसं)। स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) के अन्तर्गत ष्। भूंचचल डवनजी पेण्ण् । भूंचचल डपदकष् थीम पर विश्व स्वास्थ्य दिवस सप्ताह के रुप में मनाया जा रहा है।

■ विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस आयोजित किये विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम एवं जांच शिविर

जिसके अन्तर्गत आज स्वास्थ्य भवन में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र की छात्राओं द्वारा जागरुकता रैली निकाली गई। रैली के पश्चात् कॉन्फ्रेन्स हॉल में जागरुकता सत्र का आयोजन किया गया। जिसे उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) डॉ. लेखराज मालव, उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) डॉ. अरविन्द कुमार नागर, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभु लोधा, एएनएम टीसी से ललित गुर्जर, जतिन उपाध्याय, लक्ष्मी वर्मा, गिरिजा वर्मा, सुरेन्द्र जांगिड, सुनिल बैरागी, डेन्टल हाईजिनिस्ट (एनओएचपी) राजकुमार शर्मा, डेन्टल टेक्निशियन (एनओएचपी) सीमा शर्मा के सानिध्य में सम्पन्न किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस सप्ताह के अन्तर्गत जिले के हर राजकीय चिकित्सा संस्थान में सभी राजकीय दन्त चिकित्सा अधिकारीयों एवं एनओएचपी संविदा कार्मिकों को के द्वारा मुख रोगों से सम्बन्धित शिविर, अच्छी मुख स्वच्छता के द्वारा रोगों से बचाव हेतु जागरुकता पैदा करने के तरीके की प्रस्तुतिकरण, स्वास्थ्य कार्मिको को मुख रोगों के प्रति जानकारी व मुख से सम्बन्धित बीमारीयों के लिए आमजन को जागरुक करने के लिये विभिन्नि जनजागरुकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।

चिकित्सा विभाग के सोशल मिडिया फेसबुक, ट्विटर(एक्स), यूटयुब अकाण्ट प्म्श्रभ्।स्ॉ।त् के माध्यम से जागरुकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान ने बताया कि 20 मार्च 2025 से सम्पूर्ण जिले के राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर मुख स्वास्थ्य जागरुकता एवं जॉच सप्ताह का शुभारंभ, मुख स्वास्थ्य के साथ मुख कैंसर की प्रारम्भिक अवस्था की जॉच करते हुए संभावित मरीजो का रिकार्ड संधारित करते हुए उच्च चिकित्सा संस्थान पर रैफर करवाते हुए उचित उपचार प्रदान रिवाया जा रहा है। आमजन से अपील है कि वे भी जिले में चलने वाले विश्व मुख स्वास्थ्य सप्ताह में अपने नजदीकि राजकीय चिकित्सा केन्द्र पर जाकर अपनी जॉच अवश्य करवायें।

कार्यालय नगर पालिका अन्ता जिला बारां (राज0)

Kota Baran Road, Anta 325202 दूरभाष-07457-244404, फैक्स-244404 Email : antanagarpalika@gmail.com

क्रमांक : न.पा.अ./भू.शा./2024-25/4863-65 दिनांक:- 18.03.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियो द्वारा नगर पालिका निम्न कृषि भूमि नियमन आबादी भूमि/कॉलोनी एवं खसरा नम्बर में पत्रावली पेश कर रखी है। जिनको पट्टा दिया जाना है। इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अपने दस्तावेजों के साथ आपत्ति पालिका में प्रस्तुत कर सकते है। बाद गुजरने मियाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

कृषि भूमि नियमन –

क्र. सं.	नाम भूखण्डधारी	योजना का नाम, खसरा नं., क्षैत्रफल वर्गफीट में	भूखण्ड किससे क्रय किया गया क्रय का प्रकार अपंजीकृत / पंजीकृत इकरारनामा / बेचाननामा
1	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल, नीलकंठ कॉलानी अंता,	योजना :- नीलकंठ कॉलोनी अंता, आवासीय योजना, खसरा नं0 253 क्षैत्रफल :- 2500 वर्गफीट	इकरार नामा
2	श्री बजरंग लाल पुत्र श्री मंगला, मिर्जा कॉलोनी अन्ता	योजना :- मिर्जा कॉलोनी अन्ता आवासीय योजना, खसरा नं0 499 क्षैत्रफल :- 625 वर्गफीट	इकरार नामा
3	श्री कुलवन्त नागर , महेश नागर पुत्र श्री शिवराज नागर , गुरू गोविन्द सिंह गुलशन कॉलोनी द्वितीय	योजना :- गुरू गोविन्द सिंह गुलशन कॉलोनी द्वितीय अन्ता आवासीय योजना, खसरा नं0 474,475,453, 1043 क्षैत्रफल :- 1300 वर्गफीट	इकरार नामा

निर्माण स्वीकृति

क्र.स.	नाम आवेदक मय पता	पटटे की संख्या व दिनांक/भू. सः	भूखण्ड का माप/निर्माण स्वीकृति का विवरण
1.	श्री घनश्याम पुत्र श्री बेनीराम, राजस्थान आवासन मण्डल अन्ता	2/31 – दिनांक:- 10.01.2018	90 वर्गमीटर

राज.संवाद/सी/24/13552 अधिशाषी अधिकारी

भारतीय रेल पश्चिम मध्य रेलवे

प्रोफार्मा 10-02

एसी 25 केवी ट्रैक्शन का परिचय

"सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए चेतावनी"

जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि M/s भागवत प्रॉपर्टीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के निजी रेलवे साइडिंग के खंड पर 25 केवी एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के खंड पर 25 केवी एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की शुरुआत के संबंध में पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा डिवीजन के अंतर्गत सुंदरलक स्टेशन से टेक-ऑफ किया गया है। From OHE Location No.- 60/16 up to location No: BPLLP/2025 & BPLLP/2026 of in plant yard. (TKM:1.50)

ऊंचाई गेज समपार पर बनाए गए हैं

ए) Loc no- 60/26 (सीएचः - 60/619-30) से Loc no- 60/28 (सीएचः - 60/664-30) के बीच लाइन नंबर 01- लोडिंग/अनलोडिंग लाइन पर, Extension of Manned LC No. 34/C/T/M.

बी) एलओसी नं. बीपीएलएलपी/2005 (सीएचः - 60/884-80) से एलओसी नं। बीपीएलएलपी/2006 (सीएचः - 60/938-800) लाइन नंबर 02- इंजन रिवर्सल कम लोडिंग/अनलोडिंग लाइन New LC No. 1 at C/L of CH: 60/910.024.

अत्यधिक ऊंचाई के भार को संपर्क में आने या लाइव ट्रैक्शन वायर से खतरनाक निकटता से रोकने के उद्देश्य से सड़क स्तर से 4-78 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई के साथ।

जनता को वाहनों को लोड करने के उद्देश्य से ऊपर निर्दिष्ट ऊंचाई का निरीक्षण करने और यह देखने के लिए अधिसूचित किया जाता है कि सड़क वाहनों में किए गए भार किसी भी परिस्थिति में ऊंचाई गेज का उल्लंघन नहीं करते हैं

अत्यधिक ऊंचाई के भार के खतरे इस प्रकार हैं: –

- ऊंचाई गेज के लिए खतरा और परिणामस्वरूप सड़क के साथ-साथ रेलवे लाइन में बाधा।
- ले जाने वाली सामग्री या उपकरण या वाहन के लिए खतरा।
- कंडक्टरों के संपर्क या खतरनाक निकटता के कारण आग और जीवन का खतरा।

श्री अजय शर्मा, सीनियर डिवीजन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (टीआरडी), वेस्ट सेंट्रल रेलवे, सिटी डिवीजन

श्री गोपाल मोर, निर्देशक, मेसर्स भागवत प्रॉपर्टीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (बीपीएलएलपी)

भारतीय रेल पश्चिम मध्य रेलवे

प्रोफार्मा 10-01

"सार्वजनिक सूचना"

पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के अंडर-नोट खंड के पूर्ण खंड पर स्थित रेलवे लाइनों और परिसर के सभी उपयोगकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि 25000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, एसी ओवरहेड ट्रैक्शन तारों को अनुभाग के सामने निर्दिष्ट तारीख को या उसके बाद सक्रिय किया जाएगा। उसी तारीख को और उसके बाद ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन को हर समय लाइव माना जाएगा और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उक्त ओवरहेड लाइन के निकट नहीं जाएगा या काम नहीं करेगा।

क्र. सं.	अनुभाग का नाम	सीमा	एनर्जाइजेशन की तिथि
1.	**ओवरहेड उपकरण (OHE, TKM-1.50): -** Private Railway siding of M/s Bhagwat Properties Limited Liability Partnership takes-off from Sundlak Station under Kota division of West Central Railway. **a)** Extension of Shunting Line & Line no. 1 Loading/Unloading Line from Loc. No. 60/16 (CH: - 60/403.30) to Loc. No. BPLLP/2025 (CH: - 61/381.60) **= Total Length – 978.30m** b) Break Van from Loc. No. BPLLP/2006 (CH: - 60/938.80) to Loc. No. BPLLP/2015 (CH: - 61/165.60) **= Total Length – 226.80m** **c)** Line & Line no. 02- Engine Reversal cum Loading/Unloading Line from Loc. No. BPLLP/2016 (CH: - 61/201.60) to Loc. No. BPLLP/2025 (CH: - 61/381.60) **= Total Length – 180.00m**	कोटा पश्चिम मध्य रेलवे	25.03.2025 को या उसके बाद

श्री अजय शर्मा, सीनियर डिवीजन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (टीआरडी), पश्चिम मध्य रेलवे, सिटी डिवीजन

श्री गोपाल मोर, निर्देशक, मेसर्स भागवत प्रॉपर्टीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (बीपीएलएलपी)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर

वेब साइटः– www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर (डिस्कॉम द्वारा भी निर्दिष्ट) ने रा.वि.वि.आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम 2019 समयानुसार सशोधित के अन्तर्गत वित्त. 2023-24 की समग्रराजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग-अप याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दायर की है। समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग-अप के सत्यापन हेतु याचिका के मुख्य बिन्दु नीचे दिये गये हैं।

याचिका की प्रतियां निरीक्षण/अवलोकन के लिए और रू. 100/- के भुगतान पर विक्रय के लिए आयोग के कार्यालय और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं :-

1. अनुज्ञप्तिधारी का मुख्यालय, विद्युत भवन जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स.) का जयपुर वृत कार्यालय (नोर्थ), जयपुर वृत कार्यालय (साउथ), जयपुर जिला वृत कार्यालय(नोर्थ), जयपुर जिला वृत कार्यालय(साउथ),जयपुर/कोटपुतली/दूदू/भिवाड़ी/डीग/गंगापुर सिटी/दौसा/कोटा/झालावाड़/अलवर/भरतपुर/सवाईमाधोपुर/बींरां/बूंदी/टौंक/करौली/धौलपुर कार्यालय।

याचिका निगम की वेब साइट www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl और रा.वि.वि.आ. की वेब साइट www.rerc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

टिप्पणीयां/सुझाव भेजने के इच्छुक व्यक्ति आरईआरसी (कार्य सम्पादन) विनियम 2005 के फार्म सं. 3 में शपथ पत्र सहित विस्तृत विवरण छः प्रतियों में इस प्रकार भेजें कि प्राप्ति अधिकारी, आरईआरसी, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302001 के पास 15.04.2025 तक या उससे पूर्व पहुंच जाए।

वित्त. 2023-24 की समग्रराजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग-अप की याचिका का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है (याचिका संख्या 2284/2025):-

सारिणी : वित्त. 2023-24 की समग्रराजस्व आवश्यकता की ट्रू अप का सारांश (करोड़ रू.) (याचिका संख्या 2284/2025)

क्र. सं.	विवरण	जयपुर डिस्कॉम स्वीकृत	जयपुर डिस्कॉम ट्रू अप के लिये किया गया दावा
1	राजस्व		
2	ऊर्जा विक्रय	25064	27011
3	गैर टैरिफ और अन्य टैरिफ आय	250	1543
4	विद्युत परिवहन, प्रति सहायिकी और अतिरिक्त अधिभार से आय	4	4
5	ट्रेडिंग द्वारा ऊर्जा विक्रय	0	485
6	कुल राजस्व (अ)	25318	29042
7	व्यय		
8	ऊर्जा क्रय लागत	19089	21830
9	पवस व्यय		
9.1	कर्मचारी लागत	1452	901
9.2	प्रशासनिक व सामान्य व्यय	180	190
9.3	मरम्मत व संधारण व्यय	212	419
10	सेवान्त लाभ	406	744
11	ह्रास	882	1194
12	ब्याज व वित्त प्रभार	837	985
13	उपभोक्ता प्रतिभूति पर ब्याज	95	148
14	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	213	2499
15	विनियामक संपत्तियों पर ब्याज	1918	
16	उदय ऋण पर ब्याज	520	520
17	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	0	199
18	बीमा व्यय	35	2
19	अन्य व्यय (पूर्व अवधि व्यय सहित)	0	689
20	कुल व्यय (ब)	25838	30320
21	अधिशेष/(घाटा)(स= अ-ब)	(520)	(1278)
22	राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व सहायिकी (द)	504	238
23	फ्लैट दर उपभोक्ताओं को न बदलने के कारण की गई कटौती (ई)	20	(30)
24	वि.व. 2023-24 हेतु राजस्व अधिशेष/(अन्तर) (एफ = स+द+इ)	4	(1070)
25	विलम्ब शुल्क अधिभार (जी)	0	302
26	राजस्व अधिशेष/(अन्तर)(एच= एफ- जी)	4	(1373)

राज.संवाद/सी/24/13595 जेपीआर 2970 (2025) अधीक्षण अभियंता (रेगुलेशन)

जनसुनवाई में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की

झालावाड़, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा जनकल्याण की भावना से संचालित त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत जिले में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित इस जनसुनवाई की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने की।

जनसुनवाई के दौरान आमजन की ओर से भूमि विवाद, म्यूटेशन, अतिक्रमण हटाने, रास्ता खुलवाने, छात्रवृत्ति, भूमि पर कब्जा हटवाने, पट्टा जारी करने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिला कलक्टर ने प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि परिवादियों को शीघ्र राहत मिल सके।

जनसुनवाई की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने की।

राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे:- राठौड ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और अंतिम पंक्ति में खडे व्यक्ति की सुनवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से समाधान कर जनविश्वास को सशक्त बनाया जाए तथा जनता के हित में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। जिला कलेक्टर ने अंत में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को समय पर राहत मिल सके और प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हो। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यनारायण आमेटा, उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं परिवादी उपस्थित रहे।